

प्रेषक,

संख्या- 1147/15-7-07-16(108)/2006

सदानन्द,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2007

विषय :- आर्योण हा०से०स्कूल कानपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कानून का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अभाव में अनापत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किली अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नईदिल्ली/संश्लिष्ट आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैजामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः गम्यमान हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शैक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय



(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पात्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- शासनादेश संख्या-4685/15-7-06-16(108)/2006 दिनांक 11-10-2006 द्वारा आई०सी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु पूर्व में प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रद्वारा निरस्त किया जाता है ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(सदानन्द)

अनु सचिव ।

प्र०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, सचिव, कौन्सिल फार दी एग्जिड्युन स्कूल सर्टीफिकेट इक्विवलेन्स, प्रगत लेवल, तृतीय तल, 47-48, नेहरू प्लेस, चूरी तल, नईदिल्ली ।
- 2- शिक्षा निदेशक(भा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 3- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ।
- 5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 6- प्रबंधक, आर्चीज हा०से०स्कूल कानपुर ।
- 7- गार्ड बुक !

आज्ञा से,

(सदानन्द)

अनु सचिव ।

